मालु उर्फ पीरु खां बनाम रामप्रताप मु.नं. 84/21

दिनांक	आज्ञा पत्र	
5.3.25	[illegible] प्रस्तुत अभिभाषक संघ के [illegible] न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व [illegible]नुसार दिनांक 19.4.25 को पेश हो।	
21.4.25	दि. 19.4.25 का राजकीय अवकाश होने से पत्रावली पेश [illegible] प्रस्तुत अभिभाषक संघ के [illegible] न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व [illegible]नुसार दिनांक 21.5.25 को पेश हो।	
21/5/25	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पो.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज ......छुट्टी...... पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 22.5.25 को पेश हो।	
22.5.25	पत्रावली पेश। बहस अपीलार्थी सुनी गयी। पत्रा. वास्ते आदेश दिनांक 26.5.25 को पेश हो (हस्ताक्षर) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
26/5/25	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट......स्वीकार...... की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। (हस्ताक्षर) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सीकर (मुहर)

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 82/2021

1 मालू खां उर्फ पीरूखां पुत्र लाल खां जाति कायमखानी निवासी पबाना तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 रामप्रताप पुत्र चिमन सिंह
2 गोपीचन्द पुत्र बालूराम
3 देबूराम पुत्र बालूराम
4 छोटी देवी पत्नी शिवप्रसाद
5 मनोज पुत्र शिवप्रसाद
6 राजेन्द्र पुत्र शिवप्रसाद
7 सुमिता पुत्री शिवप्रसाद
8 रामचन्द्र पुत्र मोटाराम
9 दुर्गा पुत्र मोटाराम
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम सांखू तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
10 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा चूड़ी मियान तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
11 पटवारी हल्का चूडी मियान तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
12 पटवारी हल्का खूडी राडान तहसील लक्ष्मणगढ़।
13 नायब तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
14 उप पंजीयक लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
15 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्ध निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांकित
28.09.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़
वाद शीर्षकीय रामप्रताप बनाम गोपीचन्द आदि
मु.नं. 39/2021

अपील संख्या 89/2021

1 मालू खां उर्फ पीरूखां पुत्र लाल खां जाति कायमखानी निवासी पबाना तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 रामप्रताप पुत्र चिमन सिंह
2 गोपीचन्द पुत्र बालूराम
3 देबूराम पुत्र बालूराम
4 छोटी देवी पत्नी शिवप्रसाद
5 मनोज पुत्र शिवप्रसाद
6 राजेन्द्र पुत्र शिवप्रसाद
7 सुमिता पुत्री शिवप्रसाद
8 रामचन्द्र पुत्र मोटाराम
9 दुर्गा पुत्र मोटाराम
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम सांखू तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
10 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा चूड़ी मियान तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
11 पटवारी हल्का चूडी मियान तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
12 पटवारी हल्का खूडी राडान तहसील लक्ष्मणगढ़।
13 नायब तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
14 उप पंजीयक लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

15 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांकित
28.10.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़
वाद शीर्षकीय रामप्रताप बनाम गोपीचन्द आदि मु.नं.
39/2021

उपस्थिति :
1. श्री प्रमोद कुमार मोदी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री दीनानाथ शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

<u>–निर्णय–</u>

दिनांकः– 26/5/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 39/2021 में पारित निर्णय दिनांक 28.09.2021, 28.10.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट की ओर से ग्राम सांखू की भूमि खसरा नम्बर 274, 347 के संदर्भ में दावा बाबत उद्घोषणा बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने दिनांक 28.09.2021 के आदेश से आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का आवेदन खारिज

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की एवं विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 28.10.2021 को अंतिम डिक्री जारी की है। इससे व्यथित होकर अपीलान्ट की ओर से अपील संख्या 82/2021, 89/2021 धारा 96 सीपीसी के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि वादी की आदेशिका के अनुसार प्रकरण अन्य प्रतिवादीगण की तलबी हेतू नियत था। विचारण न्यायालय द्वारा बिना किसी साक्ष्य सबूत व सुनवाई के पहले प्राथमिक डिक्री तथा इसके बाद विचाराधीन निर्णय व डिक्री मनमानिपूर्ण रूप से प्रसारित की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा इस तथ्य को पूर्णतया नजरअन्दाज किया गया कि हस्तगत वाद की विषयवस्तु के संबंध में पूर्व में विचाराधीन रहा मनीराम द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 23/2010 का निर्णय ओर अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत वाद संख्या 133/2010 के समेकित होकर इकजाही दिनांक 08.01.2021 को हो चुका, जिस निर्णय व डिक्री की प्रति अभिलेख पर थी। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांकित 08.01.2021 के अनुसार मनीराम द्वारा प्रस्तुत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत वाद संख्या 23/2010 खारिज हुआ और अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत उद्घोषणा का वाद संख्या 133/2010 डिक्री हुआ। विचारण द्वारा पूर्ण विचारण के पश्चात अपने निर्णय व डिक्री दिनांकित 08.01.2021 के द्वारा मनीराम द्वारा पेश वाद निरस्त कर दिया गया, तब ऐसी स्थिति में उक्त मनीराम के स्थान पर आये साजिशी व्यक्ति रेस्पोडेन्ट रामप्रताप को यह हस्तगत विभाजन का नवीन वाद पेश करने का कैसे विधिक अधिकार हो सकता है और कैसे उक्त वादी/रेस्पोडेन्ट रामप्रताप विभाजन की सहायता चाह सकता है। जब विक्रेता मनीराम आदि की खातेदारी स्वयं विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त की जाकर अपीलार्थी को सम्पूर्ण भूमि का खातेदार काश्तकार होना मान्य कर लिया गया, तब ऐसी स्थिती में यह नवीन वाद किसी भी रूप में पोषणीय नहीं होने के बावजूद विचारण न्यायालय के द्वारा मनमानीपूर्ण रूप से प्राथमिक डिक्री पारित कर दी गई और फिर एकपक्षीय रूप से विभाजन प्रस्ताव लिया जाकर कैम्प ग्राम दिसनाउ में अंतिम डिक्री जारी कर दी गई। मौजूदा वाद धारा 52 सम्पति अंतरण अधिनियम के प्रावधान के आलोक में विचारण नहीं है। वस्तुतः यह हस्तगत वाद न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है। इस स्थिति पर विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय द्वारा बिलकुल ध्यान नहीं दिया गया जबकि अपीलार्थी द्वारा वाद को नामन्जूर हेतू आवेदन अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. विचारण न्यायालय में पेश कर दिया गया था। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि कोई विक्रेता अपने से अधिक स्वत्व अधिकार किसी को अंतरित नही कर सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय डिक्री दिनांकित 08.01.2021 के अन्तर्गत विक्रेता मनीराम के अधिकार अमान्य कर अपीलार्थी के खातेदारी अधिकार मान्य किये जा चुके थे, तब ऐसी स्थिति में पूर्व न्याय के सिद्धान्त के आधार पर भी यह हस्तगत वाद चलने योग्य नहीं था परन्तु फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा न्याय नियमों को पूर्णतया अनदेखा कर बिना किसी वैद्य कारण के रेस्पोडेन्ट/वादी रामप्रताप के पक्ष में विभाजन की डिक्री जारी कर दी गई और उसके बाद विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई, जो हर सूरत में अपास्त किये जाने योग्य है। जब रेस्पोडेन्ट/वादी को भूमि विक्रय करने वाले प्रदर्शनी खातेदार मनीराम की खातेदारी ही निरस्त उद्घोषित हो चुकी थी, तब वादी को विभाजन का दावा लाने का ही अधिकार नहीं रहा। विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री ही आरम्भतः अवैध व शुन्य थी, तब अंतिम डिक्री स्वतः अवैध हो जाती है। ऐसी स्थिति में भी चुनौतीग्रस्त निर्णय डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामप्रताप द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत वाद संख्या 39/2021 सव्यय निरस्त किया जाना प्रार्थनीय है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट की ओर से ग्राम सांखू की भूमि खसरा नम्बर 274, 347 के संदर्भ में दावा बाबत उद्घोषणा बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने दिनांक 28.09.2021 के आदेश से आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का आवेदन खारिज कर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की एवं विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 28.10.2021 को अंतिम डिक्री जारी की है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 274 एवं 347 में वादी 1/4 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। वादी को अपनी भूमि का विभाजन का विधिक अधिकार है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपीलान्ट मालूखां उर्फ पीरूखां विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार नहीं है। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 01 नियम 10 सीपीसी खारिज किया जा चुका है। विचारण न्यायालय में विचाराधीन निर्णय से विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की एवं तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री जारी की है। विभाजन प्रस्ताव में अपीलान्ट के कब्जे काश्त व खातेदारी का कोई अंकन नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत है। विचाराधीन निर्णय से अपीलांट के हित प्रभावित नहीं हो रहे है। अपीलांट हितबद्ध पक्षकार नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 96 सीपीसी स्वीकार योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट की ओर से ग्राम सांखू की भूमि खसरा नम्बर 274, 347 के संदर्भ में दावा बाबत उद्घोषणा बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने दिनांक 28.09.2021 के आदेश से आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का आवेदन खारिज कर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की एवं विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 28.10.2021 को अंतिम डिक्री जारी की है।

विचारण न्यायालय एवं अपील न्यायालय की पत्रावली में संलग्न उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा दावा संख्या 23/2010 एवं 133/2010 में समेकित रूप से पारित निर्णय दिनांक 08.01.2021 से अपीलान्ट मालूखां को ग्राम सांखू तहसील लक्ष्मणगढ़ की भूमि खसरा नम्बर 166/1 रकबा 0.82 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। खसरा नम्बर 166/1 के नवीन खसरा नम्बर 347 कायम किये गये है। वाद संख्या 133/2010 के निर्णय से पूर्व खसरा नम्बर 166/1 के तत्कालीन खातेदार मनीराम द्वारा वाद के लंबित रहते दिनांक 22.09.2017 को विचाराधीन वाद के वादी रामप्रताप को विक्रय कर दिया गया। विचारण न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 01 नियम 10 सीपीसी में इन तथ्यों का विवेचन

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

एवं विश्लेषण किये बिना, अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री जारी कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार है। अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। विचारण न्यायालय में अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित कर जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.06.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 26/5/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर